



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170367

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-
7708/2026**

दीपक

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : कामेश्वर सिंह सुधांशु कुमार सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- 1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
- 2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 50 वर्ष 2017, बी.एन.एस. की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), थाना-जर्चा, जनपद-गौतम बुद्ध नगर, में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त उल्लिखित प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। प्रश्नगत विक्रय विलेख खुसबू देवी द्वारा निष्पादित किए गए थे। वर्तमान प्रकरण में अपने संलिप्त किए जाने के पश्चात् आवेदक को बाद में पाँच अन्य प्रकरणों में भी संलिप्त किया गया, जो सभी उन्हीं लेन-देन से संबंधित हैं। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तों में से एक रमेश को इस न्यायालय द्वारा NABAIL संख्या 5337 वर्ष 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अन्य अभियुक्तों, सौरभ सिंह एवं पूनम राणा, को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः जमानत आवेदन संख्या 20758 वर्ष 2026 एवं 20367 वर्ष 2026 में नियमित जमानत प्रदान की गई है। सह-अभियुक्त प्रवीणा राणा एवं ममता कुमारी को भी इस न्यायालय द्वारा क्रमशः NABAIL संख्या 7328 वर्ष 2026 एवं 7288 वर्ष 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक का प्रकरण समान आधार पर है। प्रश्नगत लेन-देन से संबंधित पंजीकृत छह प्रकरणों के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई पूर्व आपराधिक प्रकरण नहीं है।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्तों के समान आधार पर है।

5- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6- आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक के विरुद्ध दर्शाए गए छह प्रकरण सभी वर्तमान विवाद से संबंधित हैं। आवेदक न तो विक्रेता है और न ही क्रेता तथा उसे विक्रय विलेखों में सीमांत साक्षी के रूप में भी दर्शाया गया है। इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई है।

7- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- 8- उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
- 9- आवेदक-दीपक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानत प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-
- i- आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - ii- आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;
 - iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।
- 10- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 11- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

13 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”